अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 3/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 675(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य के भीतर ऐसे माल की पूर्ति को, जिसका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न सुसंगत सूची के साथ पठित नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है, पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना से उपाबद्ध सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोई अध्याय	निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित इस सारणी से उपाबद्ध सूची में विनिर्दिष्ट माल : (1) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम या ऑयल इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर मंजूर की गई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (2) विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (3) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (4) सीमांत फील्ड नीति (एमएफपी) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (5) कोयला संस्तर मिथेन नीति के अधीन प्रारंभ किए गए कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन।	2.5%	1

उपाबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	यदि,-- (क) माल की पूर्ति निम्नलिखित को की जाती है :-- (i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) या अनुज्ञप्तिधारी का उप संविदाकार और नामांकन के आधार पर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई, यथास्थिति, पेट्रोल खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या (ii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा गया है) या संविदाकार का उप संविदाकार और भारत सरकार के साथ संविदा के अधीन की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या (iii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविदाकार" कहा गया है) या ऐसी कंपनी या कंपनियों या ऐसे संघ का उप संविदाकार, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् कोयला संस्तर मिथेन नीति के निबंधनानुसार या 14 अक्तबूर, 2015 को या उसके पश्चात् सीमांत क्षेत्र नीति के निबंधनानुसार भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोल संक्रियाओं या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के प्रत्येक मामले में ; (ख) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता,-- (i) एक अनुज्ञप्तिधारी है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्त: प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है; (ii) एक संविदाकार है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्त: प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :-- (क) उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, या (ख) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों ; (ग) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता, कोई उप संविदाकार है, वहां वह माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है,-- (i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्त: प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :--

	(क) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, अनुज्ञप्तियों या खनन पटटों के अधीन, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या (ख) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संविदा के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या (ग) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो ; (ii) इस आशय का शपथपत्र कि ऐसा उप संविदाकार, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार का वास्तविक उप संविदाकार है ; (iii) यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार से ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का संदाय करने के लिए उसे आबद्ध करने का वचन, यदि इस प्रविष्टि की किसी शर्त का, यथास्थिति, ऐसे उप संविदाकार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है । (घ) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के किसी उप संविदाकार या संविदाकार या संविदाकार के किसी उप संविदाकार को इस प्रकार पूर्ति किया गया माल, अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य संविदाकार या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उप संविदाकार या संविदाकार के किसी अन्य उप संविदाकार या किसी अन्य संविदाकार या ऐसे संविदाकार के उप संविदाकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है) को अंतरित किए जाने की वांछा की जाती है, वहां ऐसा अंतरिती ऐसे अंतरण के समय, यथास्थिति, उपायुक्त केंद्रीय कर या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर या उपा आयुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, जिनकी अधिकारिता में ऐसा अंतरिती है, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-- (i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्त: प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त माल, अंतरिती के नाम में अंतरित किया जाए और उक्त माल निम्नलिखित आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है :-- (A) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल खोज या खनन पट्टे ; या (B) खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन ; या (C) खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालन । (ii) अंतरिती से इस प्रविष्टि की सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए वचन, जिसके अंतर्गत यह भी है कि वह ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का वहां संदाय करेगा यदि इस प्रविष्टि की शर्त का उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, जहां वह अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार है, या अंतरिती के अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार द्वारा, वहां ऐसा अंतरिती एक उप संविदाकार है । (iii) कोई प्रमाणपत्र,-- (A) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के

	अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है, (B) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि, यथास्थिति, ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है : परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा अंतरिती कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां है । (ड) जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का निस्तारण किया जाना है, यथास्थिति, माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता या अन्तरिती, कर जो संदेय किया जा सकेगा लेकिन यहां अन्तर्विष्ट छूट के लिए ऐसे माल के ह्रास मूल्य पर इस शर्त के अध्यधीन कि आयातकर्ता या अन्तरिती, यथास्थिति, उपायुक्त केद्रीय कर या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर या उपा आयुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, यथास्थिति, जो पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता रखता हो, को महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि उक्त माल पेट्रोलियम प्रचालनों या कोयला बैड मिथेन प्रचालनों के लिए अधिक समय तक अपेक्षित नहीं है, प्रस्तुत करेगा और माल का ह्रास मूल्य, माल के समाशोधन की तारीख से वर्ष के प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे यथाविनिर्दिष्ट ऋजु रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशत विन्दुओं द्वारा कम आयात के समय पर माल के मूल मूल्य के बराबर होगा, अर्थात् :-- 70 प्रतिशत की अधिकतम के अधीन रहते हुए (i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर; (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर; (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर; और (iv) चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 2 प्रतिशत की दर ।

सूची (सारणी का क्रं.सं. 1 देखें)

(1) भूकंपीय उपस्कर और साधित्र, अपेक्षित यान, जिनके अंतर्गत उपस्कर को वहन करने के लिए यान भी हैं ; भूकंपीय सर्वेक्षण जलयान, भूमंडलीय अवस्थिति प्रणाली और भूकंपीय कार्य के लिए अपेक्षित अन्य सामग्री या तट पर और अपतट क्रियाकलापों के लिए भूभौतिक और भूरासायनिक सर्वेक्षण के अन्य प्रकार ।

(2) सभी प्रकार के वेधन साज-सामान, जैकप साज-सामान, निमज्जनी साज-सामान, अर्द्ध निमज्जनी साज-सामान, वेधन पोत, वेधन नौकाएं, शाट-होल वेधन साज-सामान, गतिशील साज-सामान, वर्क ओवर साज-सामान, जो विभिन्न उपकरणों और वेधन संक्रियाओं के लिए अन्य वेधन उपस्करों से मिलकर बना है और चिपटाकारक यूनिटों, हाइड्रोलिक वर्कओवर यूनिटों, स्व:उत्तोलन वर्कओवर प्लेटफार्मों, सुदूर प्रचालित जलयान (आरओवी) के लिए अपेक्षित अन्य वेधन उपस्कर ।

(3) हेलिकाप्टर जिनके अंतर्गत समंजक/पुर्जे भी हैं ।

(4) पेट्रोलियम संक्रियाओं की सहायता करने के लिए सभी प्रकार के समुद्री जलयान, जिनके अंतर्गत कार्य नाव, नौकाएं, कार्यदल नौकाएं, कर्ष, लंगर संभालने वाले जलयान, साधारण नौकाएं और प्रदाय नौकाएं भी हैं, समुद्री पोत उपस्कर, जिसके अंतर्गत वाटर मेकर, डीपी प्रणाली और निमज्जन प्रणाली भी है ।

(5) निमज्जनकारी, जोड़ने वाली, लट्टे बनाने वाली उत्पादन परीक्षण अनुरूपण और पंक सेवाएं, तेल क्षेत्र संबद्ध प्रयोगशाला, उपस्कर जलाशय इंजीनियरी, भूगर्भीय उपस्कर, दिशासूचक वेधन, अनुरूपण, क्वाएल ट्यूबिंग यूनिटों, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग (डीएसटी) आंकड़ा अर्जन और प्रसंस्करण तथा ठोक पदार्थ नियंत्रण, मछली पकड़ना, तेल क्षेत्र संक्रियाओं या कोयला संस्तर क्षेत्र मिथेन संबंधी प्रचालनों में अधोछिद्र पुन: प्रापण से यथा संबद्ध, पाइप निरीक्षक, जिसके अंतर्गत अविध्वंशीय परीक्षण, कोरिंग ग्रेवल पैक, तेल /गैस/सीबीएम कुओं, जिनके अंतर्गत वायर लाइन और अधोछिद्र उपस्कर भी हैं, जैसी विशेषीकृत सेवाओं के लिए सभी प्रकार के उपस्कर/यूनिट ।

(6) सभी प्रकार के वेष्टन पाइप वेधन पाइप, उत्पादन नलिकाकरण, पप ज्वाइंट्स, कनेक्शन, कपलिंग, केली, क्रास ओवर्स और स्वैग, ड्राई पाइप ।

(7) सभी प्रकार के वेधन बर्मी, जिनके अंतर्गत नोजल, भंजक और संबद्ध औजार ।

(8) सभी प्रकार के तेल क्षेत्र रसायन या कोयला संस्तर मिथेन रसायन, जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों में प्रयुक्त सिंथेटिक उत्पाद भी हैं, तेल क्षेत्र सीमेंट और सीमेंट योजक, जो तेल या गैस के वेधन, उत्पादन और परिवहन के लिए अपेक्षित हैं ।

(9) तेल, गैस या सीबीएम तथा जल अंतर्वेशन के लिए प्रक्रिया, उत्पादन और कुएं प्लेटफार्म/संस्थापन जिनके अंतर्गत प्लेटफार्म/संस्थापन और प्रक्रिया उपस्कर, टरबाइनों, पंपों, जनित्रों, संपीडकों, प्राइम मूवरों, वाटर मेकरों, फिल्टरों जैसी अपेक्षित प्लेटफार्मों/संस्थापनों के भागरूप होने वाली मदें भी हैं और प्लेटफार्मों/संस्थापनों के लिए अपेक्षित फिल्टर करने के उपस्कर, टेलीमीटरी, दूरसंचार, सुदूर नियंत्रण और अन्य सामग्री ।

(10) प्रभार लाइनों तथा ट्रंक पाइप लाइन जिनके अंतर्गत भार विलेपन और आवरण भी है, के लिए लाइन पाइपें ।

(11) डेरिक नौकाएं, मोबाइल और स्थायी क्रेनों, खाई खोदक, पाइप बिछाने वाली नौकाएं, स्थोरा नौकाएं और प्लेटफार्मों के संनिर्माण/संस्थापन और पाइप लाइनों के बिछाने में अपेक्षित वैसी ही वस्तुएं ।

(12) एकल पल्व, नौबंध प्रणाली, नौबंध रज्जु, फिटिंगें जैसे जंजीर, शैकल, संयोजन समुद्री हौजों और तेल भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल टैंकर तथा संबद्ध उपस्कर, तेल के भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक, संघनित्र, कोयला संस्तर मिथेन, जल, गाद, रसायन और संबद्ध सामग्री ।

(13) प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि रोक, अग्निशमन, अवशेष राफ्ट, जीवित, अग्नि और गैस भेदित उपस्कर, जिसके अंतर्गत एच2एस मानीटरी उपस्कर भी हैं, जैसी सुरक्षा मदों के लिए अपेक्षित पूर्णत: सज्जित जलयानों और अन्य यूनिटों/उपस्करों के सभी प्रकार ।

(14) मोबाइल तथा रोक से मढ़े हुए पाइप बिछाना, पाइप का परीक्षण और पाइप निरीक्षण उपस्कर ।

(15) सभी प्रकार के वाल्व, जिनके अंतर्गत उच्च दाब के वाल्व भी हैं ।

(16) पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसूचना उपस्कर, जिनके अंतर्गत संश्लिष्ट वीएचएफ वायु और वीएचएफ बहुल चैनल सेट/वेएचएफ समुद्री बहुल चैनल सेट भी हैं ।

(17) गैर दिशात्मक रेडियों अंतरस्थत: सुरक्षित वाकी-टाकी बोधक ईपीआई आरवी, इलेक्ट्रानिक व्यष्टिक सुरक्षा युक्तियां, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली भी है ।

(18) विशेषीकृत एंटीना प्रणाली, रेडियो टर्मिनलों पर सिम्पलेक्स टेलेक्स, चैनल सूक्ष्म तरंग प्रणाली, परीक्षण और माप उपस्कर ।

(19) एक्स-बैंड राडार ट्रांसपोंडर, क्षेत्र निगरानी प्रणाली।

(20) सामान्य गहराई बिन्दु (सीडीपी) केबल, लागिंग केबल, संयोजित्र, जियो फोन रस्सियां, छिद्रण उपस्कर और विस्फोटक।

(21) वालहेड और क्रिसमस वृक्ष जिसके अंतर्गत वाल्व, चोक, हेड स्पूल, हैंगर्स और एक्च्यूऐटर्स, चिक्सन्स और उच्च दाब हौजों, बंद पैनलों जैसे नम्य संयोजन भी हैं।

(22) कैथोडिक संरक्षण प्रणालियां, जिनके अंतर्गत ऐनोड भी हैं।

(23) पेट्रोलयिम और कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित तकनीकी आरेखण, मानचित्र, साहित्य, डाटाटेप, संक्रियात्मक और अनुरक्षण विषयक मैनुअल।

(24) इस सूची में विनिर्दिष्ट माल के चलाने, मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के लिए उप-समंजक, औजार, साधित्र, भंडार, पुर्जे, सामग्री, प्रदाय, उपभोग वस्तुएं।

स्पष्टीकरण—

(1) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 3/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below read with relevant List appended hereto and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Good and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, as specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid.

TABLE

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Any Chapter	Goods specified in the List annexed to this Table required in connection with: (1) Petroleum operations undertaken under petroleum exploration licenses or mining leases, granted by the Government of India or any State Government to the Oil and Natural Gas Corporation or Oil India Limited on nomination basis, or (2) Petroleum operations undertaken under specified contracts, or	2.5%	1

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(3) Petroleum operations undertaken under specified contracts under the New Exploration Licensing Policy, or (4) Petroleum operations undertaken under specified contracts under the Marginal Field Policy (MFP), or (5) Coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Coal Bed Methane Policy.		

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	If,- (a) the goods are supplied to,- (i) the Oil and Natural Gas Corporation or Oil India Limited (hereinafter referred to as the "licensee") or a sub-contractor of the licensee and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under petroleum exploration licenses or mining leases, as the case may be, granted by the Government of India or any State Government on nomination basis; or (ii) an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of the contractor and in each case in connection with petroleum operations to be undertaken under a contract with the Government of India; or (iii) an Indian Company or Companies, a Foreign Company or Companies, or a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies (hereinafter referred to as the "contractor") or a sub-contractor of such Company or Companies or such consortium and in each case in connection with petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract signed with the Government of India, on or after the 1st day of April,1998, under the New Exploration Licensing Policy, or on or after the 1st day of April 2001 in terms of the Coal Bed Methane Policy, or on or after the 14th day of October, 2015 in terms of the Marginal Field Policy, as the case may be; (b) where the recipient of outward supply of goods,- (i) is a licensee, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply of goods, the following, namely, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for petroleum operations referred to in sub-clause (i) of clause (a); (ii) is a contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for (A) petroleum operations referred to in sub-clause (ii) of clause (a) under the contract referred to in that sub-clause, or (B) petroleum operations or coal bed methane operations referred to in sub-clause (iii)

of clause (a), as the case may be, under a contract signed under the New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane Policy or the Marginal Field Policy, as the case may be;

(c) where the recipient of outward supply of goods is a sub-contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, at the time of outward supply, the following, namely :-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for :-

(A) petroleum operations referred to in sub-clause (i) of clause (a) under the licenses or mining leases, as the case may be, referred to in that sub-clause and containing the name of such sub-contractor, or

(B) petroleum operations referred to in sub-clause (ii) of clause (a) under the contract referred to in that sub-clause and containing, the name of such sub- contractor, or

(C) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, referred to in sub- clause (iii) of clause (a) under a contract signed under the New Exploration Licensing Policy or the Coal Bed Methane Policy or the Marginal Field Policy, as the case may be, and containing the name of such sub-contractor;

(ii) an affidavit to the effect that such sub-contractor is a bonafide sub-contractor of the licensee or lessee or contractor, as the case may be;

(iii) an undertaking from such licensee or lessee or contractor, as the case may be, binding him to pay any tax, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this entry are not complied with by such sub-contractor or licensee or lessee or contractor, as the case may be;

(d) where the goods so supplied to the licensee or a sub-contractor of the licensee, or the contractor or a sub-contractor of the contractor are sought to be transferred to another sub-contractor of the licensee or another licensee or a sub- contractor of such licensee, or another sub-contractor of the contractor or another contractor or a subcontractor of such contractor (hereinafter referred to as the "transferee"), such transferee produces to the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over such transferee, at the time of such transfer, the following, namely:-

(i) a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods may be transferred in the name of the transferee and that the said goods are required for petroleum operations to be undertaken under :-

(A) petroleum exploration or mining leases referred to in sub-clause (i) of clause (a), or

(B) petroleum operations to be undertaken under a contract referred to in sub-clause (ii) of clause (a), or

(C) petroleum operations or coal bed methane operations, as the case may be, to be undertaken under a contract referred to in sub-clause (iii) of clause (a)

(ii) undertaking from the transferee to comply with all the conditions of this entry, including that he shall pay tax, fine or penalty that may become payable, if any of the conditions of this entry are not complied with by himself, where he is the licensee/ contractor or by the licensee/ contractor of the transferee where such transferee is a sub-contractor;

(iii) a certificate,-

(A) in the case of a petroleum exploration license or mining lease, as the case may be, granted by the Government of India or any State Government on nomination basis, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the licensee or lessee, as the case may be;

	(B) in the case of a contract entered into by the Government of India and a Foreign Company or Companies or, the Government of India and a consortium of an Indian Company or Companies and a Foreign Company or Companies, that no foreign exchange remittance is made for the transfer of such goods undertaken by the transferee on behalf of the Foreign Company or Companies, as the case may be: Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply if such transferee is an Indian Company or Companies. (e) where the goods so supplied are sought to be disposed of, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may pay the tax which would have been payable but for the exemption contained herein, on the depreciated value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are no longer required for the petroleum operations or coal bed methane operations, and the depreciated value of the goods shall be equal to the original value of the goods at the time of import reduced by the percentage points calculated by straight line method as specified below for each quarter of a year or part thereof from the date of clearance of the goods, namely:- (i) for each quarter in the first year at the rate of 4 per cent.; (ii) for each quarter in the second year at the rate of 3 per cent.; (iii) for each quarter in the third year at the rate of 2.5 per cent.; and (iv) for each quarter in the fourth year and subsequent years at the rate of 2 per cent., subject to the maximum of 70 per cent.

List

[See S.No.1 of the Table]

(1) Land Seismic Survey Equipment and accessories, requisite vehicles including those for carrying the equipment, seismic survey vessels, global positioning system and accessories, and other materials required for seismic work or other types of Geophysical and Geochemical surveys for onshore and offshore activities.

(2) All types of drilling rigs, jackup rigs, submersible rigs, semi-submersible rigs, drill ships, drilling barges, shot-hole drilling rigs, mobile rigs, workover rigs consisting of various equipment and other drilling equipment required for drilling operations, snubbing units, hydraulic workover units, self-elevating workover platforms, Remote Operated Vessel (ROV).

(3) Helicopters including assemblies/parts.

(4) All types of marine vessels to support petroleum operations including work boats, barges, crew boats, tugs, anchor handling vessels, lay barges and supply boats, marine ship equipment including water maker, DP system and Diving system.

(5) All types of equipment/ units for specialised services like diving, cementing, logging, casing repair, production testing, simulation and mud services, oil field related lab equipment, reservoir engineering, geological equipment, directional drilling, stimulation, Coil Tubing units, Drill Stem Testing (DST), data acquisition and processing, solids control, fishing (as related to downhole retrieval in oil field operations or coal bed methane operations), well control, blowout prevention(BOP), pipe inspection including Non Destructive Testing, coring, gravel pack, well completion and workover for oil/gas/CBM wells including wireline and downhole equipment.

(6) All types of casing pipes, drill pipes, production tubing, pup joints, connections, coupling, kelly, cross overs and swages, Drive Pipes.

(7) All types of drilling bits, including nozzles, breakers and related tools.

(8) All types of oil field chemicals or coal bed methane chemicals including synthetic products used in petroleum or coal bed methane operations, oil well cement and cement additives, required for drilling, production and transportation of oil or gas.

(9) Process, production and well platforms/ installation for oil, gas or CBM and water injection including items forming part of the platforms/ installation and equipment required like process equipment, turbines, pumps, generators, compressors, primemovers, water makers, filters and filtering equipment, telemetery, telecommunication, tele-control and other material required for platforms/ installations.

(10) Line pipes for flow lines and trunk pipelines including weight-coating and wrapping.

(11) Derrick barges, Mobile and stationary cranes, trenchers, pipelay barges, cargo barges and the like required in the construction/ installation of platforms and laying of pipelines.

(12) Single buoy mooring systems, mooring ropes, fittings like chains, shackles, couplings marine hoses and oil tankers to be used for oil storage and connected equipment, Tanks used for storage of oil, condensate, coal bed methane, water, mud, chemicals and related materials.

(13) All types of fully equipped vessels and other units /equipment required for pollution control, fire prevention, fire fighting, safety items like Survival Craft, Life Raft, fire and gas detection equipment, including H2S monitoring equipment.

(14) Mobile and skid mounted pipe laying, pipe testing and pipe inspection equipment.

(15) All types of valves including high pressure valves.

(16) Communication equipment required for petroleum or coal bed methane operations including synthesized VHF Aero and VHF multi channel sets/ VHF marine multi channel sets.

(17) Non-directional radio beacons, intrinsically safe walkie-talkies, directional finders, EPIRV, electronic individual security devices including electronic access control system.

(18) Specialized antenna system, simplex telex over radio terminals, channel micro wave systems, test and measurement equipment.

(19) X-band radar transponders, area surveillance system.

(20) Common depth point (CDP) cable, logging cable, connectors, geo-phone strings, perforation equipment and explosives

(21) Wellhead and Christmas trees, including valves, chokes, heads spools, hangers and actuators, flexible connections like chicksons and high pressure hoses, shut down panels.

(22) Cathodic Protection Systems including anodes.

(23) Technical drawings, maps, literature, data tapes, Operational and Maintenance Manuals required for petroleum or coal bed methane operations.

(24) Sub-assemblies, tools, accessories, stores, spares, materials, supplies, consumables for running, repairing or maintenance of the goods specified in this List.

Explanation. –

(1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.